TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY PART II - SECTION 3 - SUB-SECTION (ii) DATED THE ~~21st~~ 22nd DECEMBER, 1993

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the ~~21st~~ 22nd December, 1993

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (21st Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in the Table to Appendix I, under the heading "III. Machinery and Plant", in sub-item (2), after entry (vi), the following shall be inserted namely :-

TABLE OF RATES AT WHICH DEPRECIATION IS ADMISSIBLE

Block of assets	Depreciation allowance as percentage of written down value
1	2
"(vii) Machinery and Plant, used in semi-conductor industry covering all integrated circuits (ICs) (excluding hybrid integrated circuits) ranging from small scale integration (SSI) to large scale integration/very large scale integration (LSI/VLSI) as also discrete semi-conductor devices such as diodes, transistors, thyristors, triacs, etc.) other than those covered by entries (iv), (v) and (vi) of this sub-item and sub-item (3) below.	40"

V.K. Saksena

(V.K. SAKSENA)
UNDER SECRETARY (TPL-I)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
F. No. 149/43/92-TPL

Notification No. 9433

FOOT NOTE :- Principal Rules were published vide notification No.S.O. 969 dated 26.3.1962 and subsequently amended by S.O.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 22.12.93 ------
में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 22.12.93

अधिसूचना

आयकर

का0 आ0 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (21 वां ------ संशोधन) नियम, 1993 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट I की सारणी में, " III मशीनरी और संयंत्र " शीर्षक के नीचे, उपमद (2) में प्रविष्टि (V) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

आस्तियों का वर्ग	अवलिखित मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अवक्षयण मोक
1	2

" (vii) मशीनरी और संयंत्र, जिनका उपयोग अर्धचालक उद्योग, जिसके अंतर्गत लघुतर समाकलन से बृहत्त समाकलन/अति-बृहत् समाकलन तक के सभी स्वीकृत परिपथ (संकर एकीकृत परिपथों को छोड़कर) आते है तथा विविक्त अर्धचालक युक्तियों, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, थाइरिस्टर, ट्राईएक, आदि (उनसे भिन्न जो इस उपमद की प्रतिवेष्ट (iv), (v) और (vi) तथा नीचे उपमद (3) के अंतर्गत आती हैं), में किया जाता है । 40 "

वी॰ के॰ सक्सेना

(वी० के० सक्सेना)

अवर सचिव, ~~भारत सरकार~~ (टी॰ पी॰ एल॰)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सी०सं० 149/43/92-टी०पी०एल०

सं॰ 9433